मध्यप्रदश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

// आदेश//

भोपाल, दिनांक 29 ~~28~~.10.2020

क्रमांक 1456/2344/2020/38/1 - इस विभाग के आदेश क्रमांक 1020/2344/2020/38/1, दिनांक 21.08.2020 द्वारा डॉ. श्रीमती शोभा सुद्रास, प्राचार्य शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, देवास का स्थानांतरण शासकीय महाविद्यालय अलीराजपुर किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती सुद्रास द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में WP No. 12374/2020 दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका आदेश दिनांक 12.10.2020 द्वारा निराकृत की गयी है।

2/ मान.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर के आदेश दिनांक 12.10.2020 का ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है-

"In view of the above, the petitioner cannot be permitted to continue as a Principal of a Law College, hence the petition is dismissed. However, the petitioner is at liberty to submit a representation in terms of the Transfer Policy to the competent authority for her transfer from the Govt. College Alirajpur to some other place where she can get treatment. If such a representation is submitted same shall be considered sympathetically as early as possible."

3/ डॉ. श्रीमती शोभा सुद्रास द्वारा स्थानांतरण आदेश में संशोधन हेतु दिनांक 13.10.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें कहीं भी माननीय

उच्चं न्यायालय, बैंच इंदौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.10.2020 का उल्लेख नहीं है।

4/ प्रकरण के परीक्षण से पाया गया कि श्रीमती सुद्रास द्वारा प्रस्तुत आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश दिनांक 10.05.2005 में उल्लेखित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में निर्धारित प्रारूप में नहीं है। श्रीमती सुद्रास द्वारा अपने आवेदन में स्वयं एवं स्वयं पर आश्रित वृद्ध पिता के कैंसर पीडित होने का उल्लेख किया गया है, परंतु न तो स्वयं और न ही अपने पिताजी के कैंसर पीडित होने के संबंध में कोई भी चिकित्सीय दस्तावेज संलग्न किये गये है।

5/ अत: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ.श्रीमती शोभा सुद्रास, प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, देवास द्वारा प्रस्तुत आवेदन निर्धारित प्रारूप में न होने तथा आवेदन-पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में कोई भी चिकित्सीय प्रमाण संलग्न नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में श्रीमति शोभा सुद्रास द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अनुपम राजन)
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक 1457/2344/2020/38-1 भोपाल, दिनांक 29.10.2020

प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर संभाग, इंदौर।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
5. जिला कोषालय अधिकारी, अलीराजपुर/देवास।
6. प्राचार्य,शासकीय महाविद्यालय, अलीराजपुर।
7. डॉ. श्रीमती शोभा सुद्रास, प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, देवास।
8. गार्ड फाईल।

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग